असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं

आरईसी के बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले बोर्ड चार्टर का औपचारिक विवरण।

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों का खंड 3.5 निम्नानुसार प्रदान करता है:-

"बोर्ड को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड और प्रबंधन के बीच भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और जिम्मेदारियों का विभाजन आवश्यक है। बोर्ड के पास बोर्ड चार्टर का एक औपचारिक विवरण होना चाहिए जो बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। प्रत्येक सीपीएसई के बोर्ड को अपने बहुसंख्यक शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निगमित अभिशासन के उद्देश्यों और दृष्टिकोण (दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों और व्यावसायिक जोखिम की सामान्य धारणा के भीतर) को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

बोर्ड, एक मुख्य पदाधिकारी के रूप में, कंपनी के मामलों के कुशल प्रबंधन और अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, अभिशासन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बोर्ड चार्टर के रूप में बोर्ड, सीईओ/बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की शक्तियों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और जवाबदेही की स्पष्ट पहचान है। तदनुसार, सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.5 के अनुसरण में, बोर्ड चार्टर का एक औपचारिक विवरण पेश करने का प्रस्ताव है जो बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

बोर्ड की जिम्मेदारियां

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 291(1) बोर्ड की सामान्य शक्तियों और उन पर प्रतिबंधों का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी कंपनी का निदेशक मण्डल ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य और चीजें करने का हकदार होगा, जैसा कि कंपनी प्रयोग करने और

करने के लिए अधिकृत है; बशर्ते कि बोर्ड किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई कार्य या गतिविधि नहीं करेगा जो निर्देशित या आवश्यक हो, चाहे इस या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या कंपनी के ज्ञापन या लेखों द्वारा या अन्यथा, सामान्य रूप से कंपनी द्वारा प्रयोग या किए जाने के लिए बैठक।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292(1) में प्रावधान है कि बोर्ड द्वारा कुछ शक्तियों का प्रयोग केवल बैठकों में किया जाएगा। ये शक्तियाँ हैं:

(क) शेयरधारकों को उनके शेयरों पर अप्रदत्त धन के संबंध में कॉल करने की शक्ति;
(कक) शेयरों की पुनर्खरीद को अधिकृत करने की शक्ति;
(ख) डिबेंचर जारी करने की शक्ति;
(ग) डिबेंचर के अलावा अन्यथा धन उधार लेने की शक्ति;
(घ) कंपनी की धनराशि निवेश करने की शक्ति; और
(ङ) ऋण देने की शक्ति।

इस धारा के तहत प्रावधान और स्पष्टीकरण बोर्ड को बोर्ड की बैठकों में पारित प्रस्तावों के माध्यम से उपरोक्त कुछ शक्तियों (ग), (घ) और (ङ) को अन्य पदाधिकारियों को सौंपने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1) बोर्ड की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान करती है, जिनका प्रयोग सामान्य बैठक में कंपनी की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

इसी तरह के प्रावधान आरईसी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 83(1) और (2) में भी प्रदान किए गए हैं।

आरईसी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स का अनुच्छेद 84 निदेशकों/बोर्ड को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है।

एसोसिएशन के अनुच्छेदों का अनुच्छेद 84क अध्यक्ष/सीएमडी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अधीन, निदेशक, समय-समय पर, अध्यक्ष/सीएमडी, बोर्ड की एक समिति या उप-समिति या कुछ समय के लिए एक कार्यात्मक निदेशक को सौंप सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं, ऐसी शक्तियां जो वे उचित समझें और ऐसे समय के लिए ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं और ऐसे वस्तुओं और उद्देश्यों के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसे प्रतिबंधों के साथ प्रयोग की जा सकती हैं जो वे समीचीन समझ सकते हैं और समय-समय ऐसी सभी या किसी भी शक्ति को रद्द, वापस, बदला जा सकता है या अलग किया जा सकता है।

एसोसिएशन के अनुच्छेदों का अनुच्छेद 84ख अध्यक्ष/सीएमडी द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष/सीएमडी को बोर्ड द्वारा

उन्हें सौंपी गई शक्तियों में से किसी को कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को सौंप सकता है।

निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी मामलों के अनुपालन और वर्तमान और भविष्य की सभी प्रक्रियात्मक और प्रकटीकरण आवश्यकताओं सहित सभी लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए भी जिम्मेदार होगा।

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति।

आरईसी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 82(1) के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष/सीएमडी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर की जाएगी जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 82(2) के अनुसार, राष्ट्रपति अध्यक्ष/सीएमडी के परामर्श से पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। हालाँकि, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के मामले में ऐसा कोई परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

अध्यक्ष/सीएमडी और व्यक्तिगत निदेशकों की जिम्मेदारियां।

1. पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक।

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)।

सीएमडी निगम का मुख्य कार्यकारी है और इसके निदेशक मण्डल और भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है। वह निगम के निगमित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम के कुशल कामकाज के लिए जिम्मेदार है और कंपनी और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के बीच साल-दर-साल आधार पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार है।

अनुच्छेद 91 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष/सीएमडी आमतौर पर बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 60 के अनुसार, निदेशक मण्डल का अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक आम बैठक में अध्यक्षता करने का हकदार होगा।

ख. निदेशक (वित्त)।

निदेशक (वित्त) निदेशक मण्डल का सदस्य है और सीएमडी को रिपोर्ट करता है। वह संगठनात्मक और वित्तीय योजना, वित्तीय नीति के निर्माण, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, नकदी और धन प्रबंधन, कर योजना, संसाधनों को जुटाने और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजारों के साथ संपर्क के लिए जिम्मेदार है। वह निगम के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित राजकोष कार्यों, ऋण संचालन का पर्यवेक्षण करता है और निगमित जोखिम प्रबंधन मामलों पर सलाह देता है।

ग. निदेशक (तकनीकी)।

निदेशक (तकनीकी) निदेशक मण्डल का सदस्य है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। वह कारोबार योजना, उत्पाद विपणन, कारोबार के नए अवसरों की पहचान, मूल्यांकन में विशेष तकनीकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करने, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं सहित उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी और नियंत्रण, प्रणाली सुधार और ऊर्जा परियोजनाएँ, अनुसंधान और विकास, मानकीकरण, तकनीकी जनशक्ति और प्रशिक्षण का विकास, तकनीकी परामर्श सेवा गतिविधियाँ, आदि के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

2. अंश-कालिक स्वतंत्र निदेशक।

जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के खंड 49 में परिकल्पित किया गया है, मजबूत निगमित अभिशासन के लिए बोर्ड की स्वतंत्रता आवश्यक है। पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके यह लक्ष्य हासिल किये जाने की उम्मीद है। लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुसार, भारत सरकार ने आरईसी के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों के विपरीत, इन स्वतंत्र निदेशकों के पास कोई कार्यकारी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निहित नहीं हैं और जब भी ऐसी बैठकें होती हैं या बुलाई गई है वे मुख्य रूप से बोर्ड और अन्य बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं जहाँ उन्हें बोर्ड द्वारा अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और उपस्थिति को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने और बोर्ड के पहले लाए गए मामलों के संबंध में परीक्षा, विचार-विमर्श और निर्णय लेने में निष्पक्षता और स्वतंत्रता का तत्व लाने के साधन के रूप में माना जाता है। चूंकि स्वतंत्र निदेशक विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित पेशेवर होते हैं, इसलिए अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य होने से निर्णय लेने और निगमित अभिशासन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। स्वतंत्र निदेशक समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिए गए विचार-विमर्श और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

3. अंशकालिक अधिकारी/सरकारी निदेशक।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुच्छेद 82(2) के तहत, राष्ट्रपति सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। आरईसी के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक निदेशक होता है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुमत शेयरधारक है। स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के पास भी पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों के विपरीत, कोई कार्यकारी शक्तियां और जिम्मेदारियां निहित नहीं होती हैं और निदेशक मुख्य रूप से बोर्ड और अन्य बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं जहां उन्हें नामित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अध्यक्ष/सदस्य, जब भी ऐसी बैठकें बुलाई जाती हैं। अंशकालिक आधिकारिक सरकारी निदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऊपर वर्णित के समान हैं।